सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

गंगारानी बनाम शरद चाण्डक

किस्म मुकदमा 225 आरटीए **नम्बर 23 /2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.18	अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यपाल सहू उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही महाजन की गत् खसरा नम्बर 852/15 तादादी 50 बीघा जिसके बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 19 तादादी 0.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 25 तादादी 0.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 26 तादादी 7.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 32 तादादी 0.01 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 33 तादादी 3.50 हेक्टर इस प्रकार कुल तादादी 12.65 हेक्टर पैमूद हुए। उक्त भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09–10–2009 को अपीलांट द्वारा क्रय की गई तथा वादगत् भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 3193 अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलांट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि पर एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19–12–2017 को जारी की गई है। जिसकी अवधि निरन्तर बढ़ाई जाती रही है। उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलाधीनआदेश की आड़ में वादगत् भूमि पर कब्जा करने पर व अपीलांट को बेदखल करने पर अमादा है। वादगत् भूमि अपीलांट की तारबन्दी की हुई है तथा मौके पर कुआं एवं ट्यूबवैल बना हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 12–04–2018 को जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है फिर भी अदालत मातहत	

	द्वारा प्रकरण में जानबूझ कर बहस नहीं सुनी जा रही है तथा निरन्तर प्रकरण में पेशी दी जाती रही है तथा अदालत मातहत द्वारा बहस नहीं सुनी जा रही है। अदालत मातहत के समक्ष जैरकार प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त 6 बार बहस हेतु पेशी दी जा चुकी है। जिससे प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के निस्तारण में किसी प्रकार की कोई रूचि नहीं ली जा रही है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। रस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–12–2017 की पालना ताफैसला अपील स्थगित फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–12–2017 को वादगत् भूमि वाके काम महाजन के खसरा नम्बर 26 तादादी 7099 हेक्टर में से 6.33 हेक्टर पासा दक्षिण की बाबत् मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली के साथ अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् दिनांक 19–12–2017 को आगामी तारीख पेशी तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश प्रसारित करते समय अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्पवपूर्ण व आवश्यक इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला,	

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संबंध में किसी प्रकार कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। **इस प्रकार अदालत मातहत का उक्त आदेश सामान्य कानूनी सिद्धान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना है।**

प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12–04–2018 को ही जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त दोनों पक्षों की बहस सुनते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त भी प्रकरण में बहस हेतु 6 बार अवसर प्रदान किया जा चुका है तथा दिनांक 19–12–2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को बढ़ाया जाता रहा है। **अदालत मातहत का उक्त कृत्य उचित नहीं है तथा न्याय पूर्ण प्रकिया की स्पष्ट रूप से अवहेलना है।**

अदालत मातहत की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में किसी प्रकार की कोई रूचि नहीं ली जा रही है व प्रकरण में न्यायालय के रीडर स्तर पर ही आगामी तारीख पेशिया दी जाती रही है।

प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा अभिमत है कि चूंकि अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण बहस हेतु निर्धारित चल रहा है तथा प्रकरण में बहस हेतु आगामी तारीख पेशी 05–07–2018 निश्चित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के उक्त अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है परन्तु प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलांट के कथनानुसार की वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है के अनुसरण में अदालत मातहत को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे **प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी 05–07–2018 को आवश्यक रूप से उभय पक्षकारों की बहस सुनते हुए वादगत् भूमि के बाबत् वर्तमान खसरा नम्बर व नये खसरा नम्बरान् की जॉच करते हुए एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए आदेश पारित करें।**

अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र व अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।